रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092020-221823
CG-DL-E-19092020-221823

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2838] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2020/भाद्र 27, 1942
No. 2838] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2020/BHADRA 27, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2020

का.आ. 3186(अ).—भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अधिसूचना संख्या का. आ. 4006(अ), दिनांकित 06.11.2019, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के तहत जारी, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 548बी को महाराष्ट्र राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है।

अत: अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित (जो इसके आगे "नियम" के रूप में उल्लिखित है) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 548बी के लोखंडी – सावरगांव – रेनापुर खंड के किमी 32.225 से किमी 66.693 तक और अंबाजगांव बाइपास खंड के किमी 0.000 से किमी 3.815 तक नीचे तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 19.390 किमी निवल सड़क खंड लंबाई के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर के 60 प्रतिशत पर और 15.073 किमी निवल सड़क खंड लंबाई के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर तथा दस करोड़ अथवा इससे अधिक लागत के 3.815 किमी लबाई वाले बाइपास के लिए आधार दर का डेढ़ गुना दर पर यांत्रिक वाहनों पर फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-I

वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छ: धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2

पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	**लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है**	**दर, जिस पर फीस संदेय है**
रारा-548बी के किमी 39.250 (डिजाइन चैनेज), निकट सेलू आमला गांव (जिला बीड़)	15.073 किमी	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
	19.390	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित फीस प्लाजा (प्लाजाओं) पर 10.00 करोड़ रु. से अधिक की लागत वाले निम्नलिखित बाइपास के उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की लंबाई के लिए ऐसे टोल प्लाजा हेतु ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों के डेढ़ गुणा पर निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	**बाइपास का नाम**	**शुरू होने वाला**	**पर मिलने वाला**	**बाइपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है**		**दर, जिस पर शुल्क संदेय है**
				लंबाई (किमी में)	**लागत (करोड़ रु. में)**	
रारा-548बी के किमी 39.250 (डिजाइन चैनेज), निकट सेलू आमला गांव (जिला बीड़)	अंबाजोगइ बाइपास	0.00 किमी	3.815 किमी	3.815	40.70	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2020-21 के लिए 275.00 रु. (दो सौ पछत्तर रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों ।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए में विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता ।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी ।

8. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी ।

9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 463.25 करोड़ रू. है । [भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है और अंतिम पूंजीगत लागत को पृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा]। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात्, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. आरओ/एमयूएम/पी-1137/2016-17/टोल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2020

S.O. 3186(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 4006[E] dated 06.11.2019, issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (68 of 1988), the Central Government entrusted the National Highway Number 548B in the State of Maharashtra to the State Government of Maharashtra :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee(Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at sixty percent of the rates specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 19.390 km and at the rates specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 15.073 km and at one and one half times the base rate for bypass having length of 3.815 km costing Rupees Ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Lokhandi-Sawargaon–Renapur Section from Km 32.225 to Km 66.693 and Ambajgaon Bypass from Km 0.000 to Km 3.815 on National Highway No. 548B in the State of Maharashtra and authorizes the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three - axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for each such Toll Plaza:

Table-2

S No.	Location of Toll Plazas (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
1	Km 39.250(Design Chainage) of NH-548B, Near Selu Amla Village (Distt Beed)	15.073 Km	100% of the base rates mentioned in Table-1 above.
		19.390 km	60% of the base rates mentioned in Table-1 above.

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass costing more than Rs 10.00 crore at the following Toll Plaza at one and half times of the base rate mentioned in Table-l above for the length of bypass specified for such Toll Plaza:

Location of Fee Plaza	**Name of Bypass**	**Taking Off**	**Merging At**	**Length and Cost of the Bypass for which additional Fees is payable**		**Rate at which fee is payable**
				Length (	**Cost (in**	

				km)	Rs Cr)	
Km 39.250(Design Chainage) of NH-548B, Near Selu Amla Village (Distt Beed)	Ambajogai Bypas	Km 0.00	Km 3.815	3.815	40.70	150% for four or more lanes of the base rates mentioned in Table 1 above.

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 275.00 (Rupees Two hundred seventy five only) for the year 2020-21 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.
4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rate, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third. of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.
6. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the specified in sub – rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load,category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rules.
8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule12 of the said rules.
9. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned inTable-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the sections and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.
10. The estimated Capital Cost of the Project is Rs 463.25 Cr. [The capital cost of the project is subject to variation as the activities of the land acquisition, utility shifting, tree cutting etc are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of the capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40 % of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. RO/MuM/P-1137/2016-17/Toll]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM